संख्या- 135 /2024/2418/001-27-10002(002)/13/2024-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2024

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक-4702-102-03-318-24 के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में असफल राजकीय नलकूपों के पुन: निर्माण एवं आधुनिकीकरण की 05 परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-4073/03-72एफ.टी./औरैया 04 असफल राज.नलकूप पुन:निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 06.09.2024, पत्रांक-1269/03-72एफ.एस./इटावा 14 असफल राज.नलकूप पुन:निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.09.2024, पत्रांक-1736/03-72एफ.यू./बरेली 12 असफल राज.नलकूप पुन:निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.09.2024, पत्रांक-1908/03-72एफ.डब्ल्यू./मेरठ 13 असफल राज.नलकूप पुन:निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.09.2024 एवं पत्रांक-1738/03-72एफ.वी./बदायूँ 18 असफल राज.नलकूप पुन:निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.09.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका के अनुसार विभिन्न जनपदों में असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण एवं आधुनिकीकरण की पृथक-पृथक 05 परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4702-102-03-318-24 ''राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण'' में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 6,77,71,000/-(रूपये छह करोड़ सतहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	**परियोजना का नाम**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु परियोजना की लागत**	**निर्गत/व्यय हेतु प्रथम किश्त की धनराशि**
1	***2***	***3***	***4***
1.	नलकूप खण्ड, औरैया के अन्तर्गत जनपद-औरैया में 04 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण एवं आधुनिकीकरण की परियोजना	122.93	**104.49**
2.	नलकूप खण्ड-प्रथम, इटावा के अन्तर्गत जनपद-इटावा में 14 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण एवं आधुनिकीकरण की परियोजना	493.48	**150.00**
3.	जनपद-बरेली के नलकूप खण्ड-द्वितीय, बरेली के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 12 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण एवं आधुनिकीकरण की परियोजना	304.68	**100.00**
4.	जनपद-मेरठ के अन्तर्गत नलकूप खण्ड (पूर्व), मेरठ में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 13 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण की परियोजना	346.45	**173.22**
5.	जनपद-बदायूं में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 18 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण एवं आधुनिकीकरण की परियोजना	476.41	**150.00**
		कुल योग	**677.71**

नियम व शर्ते प्रतिबन्धों /

(1) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर-4 यथासंशोधित के अनुसार प्रायोजना का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण सक्षम स्तर से करा लिया गया है।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(8) विभागाध्यक्ष नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराएं।

(9) विभागाध्यक्ष अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक-25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक-11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(10) विभागाध्यक्ष द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार),निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) 01 प्रतिशत लेबरसेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्याः 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांकः 04 मार्च 2024 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 19 जून ,2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,77,71,000 (रुपये छह करोड़ सतहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 094 **लेखा शीर्षक** 4702001020318 राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या-135/2024/2418(1)/001-27-10002(002)/13/2024-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
(6) संबंधित मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, **द्वारा**- प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी सी0एम0आई0एस0 पोर्टल।
(9) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in